



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 11.11.20

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

थाना भीरा पुलिस द्वारा टॉप 10 व जिला बदर अपराधी बाबू पुत्र बराती को अवैध तमंचा व कारतूस सहित किया गया गिरफ्तार



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री विजय दुल के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलायें जा रहे अभियान के दौरान आज दिनांक 11.11.20 को थाना भीरा पुलिस द्वारा टॉप 10 व जिला बदर शातिर अपराधी बाबू पुत्र बराती निवासी ग्राम व थाना भीरा खीरी को 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जिसके विरुद्ध पूर्व से गोवध निवारण अधि०, गुण्डा एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के लगभग 01 दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

बाबू पुत्र बराती निवासी ग्राम व थाना भीरा खीरी

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०सं० 1142/09 धारा 498ए/323/504/506 भादवि व ¾ डीपी एक्ट थाना भीरा खीरी
2. मु०अ०सं० 600/12 धारा 3/5/8 गोवध नि० अधि० थाना भीरा खीरी
3. मु०अ०सं० 134/15 धारा 3/5/8क गोवध नि० अधि० थाना भीरा खीरी
4. मु०अ०सं० 139/15 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना भीरा खीरी
5. मु०अ०सं० 366/15 धारा 3/5/8 गोवध नि० अधि० व 11 पशु क्रूरता अधि० थाना भीरा खीरी
6. मु०अ०सं० 353/15 धारा 110जी सीआरपीसी थाना भीरा खीरी
7. मु०अ०सं० 316/17 धारा 3 यूपी गुण्डा एक्ट थाना भीरा खीरी
8. मु०अ०सं० 496/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना भीरा खीरी
9. मु०अ०सं० 497/20 धारा 10 गुण्डा अधि० थाना भीरा खीरी

बरामदगी:-

01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस

थाना भीरा जनपद खीरी



वादी श्री राजीव कुमार पुत्र गजराज द्वारा थाना भीरा पर सूचना दी कि दिनांक 10.11.20 को समय लगभग 20:00 बजे वह और उनकी पत्नी लखीमपुर से वापस अपने गांव डिमरोल जा रहे थे। रास्ते में जानकी देवी स्कूल बिजुआ के आगे उनकी मोटरसाइकिल को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा रोककर 01 मोबाइल टेक्नो कम्पनी व 5000 रुपये उनसे छीन लिये है।

सूचना पर थाना भीरा पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में थाना भीरा पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जिनके कब्जे से घटना में छीना गया मोबाइल फोन एवं 4000 रुपये बरामद हुए। अभियुक्तों के कब्जे से 02 अदद तमंचे 315 बोर एवं 04 जिन्दा कारतूस भी बरामद हुए हैं, जिसके संबंध में आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. नागेश पुत्र रामस्वरुप निवासी बिजुआ थाना भीरा खीरी (उम्र 19 वर्ष)
2. सिबान्सू पुत्र साहू निवासी बिजुआ थाना भीरा खीरी (उम्र 19 वर्ष)

बरामदगी:-

02 अदद तमंचे 315 बोर मय 04 जिन्दा कारतूस
01 अदद मोबाइल टेक्नो कम्पनी
4000 रुपये नगद

थाना नीमगांव पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी की घटना सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, चोरी की मोटरसाइकिल बरामद



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री विजय ढुल के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलायें जा रहे अभियान के दौरान आज दिनांक 11-11-20 को थाना नीमगांव पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी की घटना सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त हरिओम मिश्रा पुत्र राम अवतार मिश्रा निवासी ग्राम लखनियापुर थाना नीमगांव जनपद खीरी को चोरी की एक अदद मो 0 सा10 HF DELUXE के साथ गिरफ्तार किया गया।

थाना पसगवां पुलिस द्वारा 30 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित 02 अभियुक्तों को किया गया



श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के आदेशानुसार अवैध शराब बिक्री व निष्कर्षण अभियान के अन्तर्गत थाना पसगवां पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त गण 1. किशोर पुत्र ननका 2. कन्हैया पुत्र ननका लोनिया नि० गण ग्राम खीखनिया थाना मोहम्मदी खीरी को 30 ली० अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण के साथ मौके से गिरफ्तार किया गया। तथा मौके पर ही करीब 400ली० लहन नष्ट किया गया। जिसके संबंध मे थाना पसगवां पर मु०अ०स० 496/20 धारा 60(2)आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

थाना नीमगांव पुलिस द्वारा दुष्कर्म व पाँक्सो एक्ट में 05 वर्षों से फरार चल रहे अभियुक्त वीर भान सिंह उर्फ वीरु पुत्र हरीश को किया गया गिरफ्तार



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी को निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की धरपकड़ को चलायें जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना नीमगांव पुलिस ने 05 वर्षों से मु0अ0सं0 144/15 धारा 376363/366/341/342 भादवि व ¾ पाँक्सो एक्ट में वांछित चल रहे अभियुक्त वीरभान उर्फ वीरु को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

वीर भान सिंह उर्फ वीरु पुत्र हरीश सिंह नि0 बलतालियन थाना कमलापुर जनपद सीतापुर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

उ0नि0 अनिल कुमार पाण्डेय (बेहजम चौकी प्रभारी थाना नीमगांव खीरी)

का0 मनीष सिंह

का0 रोहित कुमार

थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा अवैध तमंचे व कारतूस सहित लेखपाल पुत्र मैकू को किया गया गिरफ्तार



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त लेखपाल पुत्र मैकू नि० तकिया थाना हैदराबाद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद कारतूस जिन्दा बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु०अ०सं० 384/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा अवैध 50 बोतल हरियाणा अंग्रेजी मार्का शराब सहित अजय कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन मे व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त अजय कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद नि० प्रतिपालपुर थाना मैगलगंज खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 50 बोतल अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्क बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु०अ०सं० 589/20 धारा 60/63 आब० अधि० पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

- थाना पलिया पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 439/20 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त मों मिया पुत्र शप्पू नि० बूपतीया थाना पलिया खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना खीरी पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 536/20 धारा 363/366 भादवि में वांछित अभियुक्त साजन पासी पुत्र त्रिभुवन नि० डुसरु थाना व जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 230/20 धारा 409/419/420/467/468/471 भादवि में वांछित अभियुक्त सीता नि० प्राथमिक विद्यालय जौहरा थाना फूलबेहड़ खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना नीमगांव पुलिस द्वारा अ०सं० 54/16 धारा 363/366/376/342/34 भादवि व पाँक्सो एक्ट में वारंटी अभियुक्त वीरभान पुत्र हरीश नि० बनतलिया थाना कमलापुर जनपद सीतापुर को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **228** लीटर अवैध कच्ची शराब, 09 शराब भट्टी बरामद कर 17 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना मोहम्मदी	53 लीटर	04 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना कोतवाली सदर	50 लीटर	03 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	थाना धौरहरा	40 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
4.	थाना पलिया	22 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
5.	थाना मितौली	20 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
6.	थाना सिंगाही	18 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
7.	थाना गोला	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
8.	थाना मैलानी	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
9.	थाना ईसानगर	05 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	228 लीटर	17 अभियुक्त गिरफ्तार